



## राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022


अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-51 (लौ0सू0आ0)/2023-24

सुश्री रीतु कुमारी, ग्राम-टाढ़ी, पो0+था0-अन्धराटाढ़ी, जिला-मधुबनी-847401

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी-सह-परीक्षा नियंत्रक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
28.06.2023	<p>सुश्री रीतु कुमारी, ग्राम-टाढ़ी, पो0+था0-अन्धराटाढ़ी, जिला-मधुबनी-847401 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-21.06.2023 इस कार्यालय में दिनांक-27.06.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।</p> <p>अपीलकर्ता सुश्री रीतु कुमारी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-21.04.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी-सह-परीक्षा नियंत्रक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी के सूचना/निर्णय अप्राप्त रहने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-कुलाधिपति के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-21.04.2023 की छाया-प्रति भी संलग्न है।</p> <p>बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में रु 10/- (दस रुपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ता सुश्री रीतु कुमारी द्वारा दायर प्रथम अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> 28/06/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>

ज्ञापक-1042/रा.सू.आ.01म)

दिनांक-28.06.2023

प्रतिलिपि:- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/ लोक सूचना पदाधिकारी-सह-परीक्षा नियंत्रक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/सुश्री रीतु कुमारी, ग्राम-टाढ़ी, पो0+था0-अन्धराटाढ़ी, जिला-मधुबनी-847401 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
28/06/2023  
विशेष कार्य पदाधिकारी